been observed particularly in the border areas of Gujarat and Rajasthan which provide easy routes for smuggling of narcotics and cross-sbusidised flow of weapons from across the border.

Government have initiated several steps to check the smuggling of arms and other contraband items, which include strengthening of paramilitary force deployment, intensified patrolling and use of sophisticated border surveillance equipments.

The issue of Pakistan's support to terrorism in India has been taken up by Government at different international levels and the responses have been encouraging.

**मानवाधिकार आयोग**

299. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक मानवाधिकार आयोग गठित किये जाने के संबंध में विभिन्न दलों के साथ विचार विमर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

**गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण)** : (क) से (ग) एक मानवाधिकार आयोग के गठन सहित मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए दिनांक 14.9.1992 को मानवाधिकारों पर मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन ने मानवाधिकार आयोग के गठन का स्वागत किया और सुझाव दिया कि सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रियों तथा पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक समिति, इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित कानून की जांच करने हेतु गठित की जाए।

तदनुसार इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय समिति गठित की गई। इस समिति की दिनांक 12.10.92 को बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि देश के विभिन्न भागों में सेमिनार आयोजित करके समाज के विभिन्न वर्गों के विचार जाने जाएं। ऐसे चार सेमिनार बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में आयोजित किए गए एक सेमिनार दिल्ली में भी, भारतीय बार काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था। दिनांक 28 जनवरी, 1993 को इस विषय पर विचार करने के लिए गृह सचिव ने बड़े राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक बुलाई। केन्द्रीय गृह मंत्री ने भी इस मामले पर संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ दिनांक 8.2.1993 को विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 18 फरवरी, 1993 को एक और बैठक हुई।

इन सभी विचार-विमर्शों में इस बात पर आम सहमति थी कि एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इन विचार-विमर्शों में तथा समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए मतों को ध्यान में रखते हुए आयोग के गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए अब कार्रवाई की जा रही है। संसद के चालू सत्र के दौरान आयोग के गठन के लिए एक विधेयक पेश किए जाने की आशा है।

**Riots in Bombay**

299. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI KAMAL MORARKA:
SHRI GAYA SINGH:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fresh Communal riots broke out in Bombay in the first week of January, 1993;